crc.ddn99@gmail.com
Fax No..0135-2669384

संख्याः–4756/6–वा0निरी0/रा0प0–016

प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद् उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सेवा में,

1–आयुक्त,
गढ़वाल मण्डल पौड़ी/
कुमायूँ मण्डल नैनीताल।
2–समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

विषयः– **राजस्व अधिकारियों द्वारा वर्ष 2016–17 में राजस्व मैनुअल में प्राविधानित निरीक्षणों के संबंध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मैं आपका ध्यान राजस्व मैनुअल में दिए गए प्राविधानों/प्रश्नावली की ओर आकृष्ट करते हुए अवगत कराना चाहूँगा कि राजस्व मैनुअल के अनुसार आयुक्त, जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार को अपने अधीनस्थ जनपद/तहसील कार्यालय/राजस्व न्यायालय का वार्षिक निरीक्षण किए जाने की व्यवस्था है, किन्तु प्रायः देखा जा रहा है कि प्रदत्त व्यवस्था का शत प्रतिशत अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

2. परिषद् के पत्र संख्या 2924/रा0प0/2012 दिनांक 29 अगस्त, 2012 द्वारा आपको राजस्व विभाग के कार्यालयों/न्यायालयों के वार्षिक निरीक्षण हेतु पूर्व से निर्धारित प्रश्नावली की प्रति प्रेषित करते हुए वार्षिक निरीक्षण सम्पन्न करने की अपेक्षा की गई है। मैं यह भी उल्लेख करना चाहूँगा कि जहां एक ओर यथा समय निरीक्षण सम्पन्न करने से कार्यालय व्यवस्थाएं यथा–कार्यालयों, न्यायालयों में अभिलेखों का रख–रखाव व अन्य कार्यालय व्यवस्थायें सुचारू होने के साथ–2 कार्य की गुणवत्ता में सुधार दृष्टिगोचर होता है, वहीं दूसरी ओर आम जनमानस के कार्यों का यथा समय सम्पादित होने से वे भी ससमय लाभान्वित होते रहते हैं। अतः इस सम्बन्ध में जनपद स्तर पर भी अधीनस्थ अधिकारियों के लिए भी वार्षिक निरीक्षण रोस्टर तैयार कर लिया जाय।

अतएव मैं आपसे अपेक्षा करूँगा कि आप राजस्व मैनुअल में दिए गए गये प्राविधानों व निर्धारित प्रश्नावली के अनुरूप अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण सम्पादित करते हुए निरीक्षण टिप्पणी की एक प्रति परिषद् को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुरेन्द्र नारायण पाण्डे) 08.12.2016
आयुक्त एवं सचिव।